संख्या-02/2021/1382/12-5-2020-सा०-233/2017

प्रेषक,

विद्याशंकर सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक
उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,
लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ:: दिनांक: 22 जनवरी, 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 105-खाद तथा उर्वरक,03-उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं एवं लेखाशीर्षक 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 01-फसल कृषि कर्म, 004-अनुसंधान, 03-उर्वरक नियंत्रण आदेश बीज एवं कीटनाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लिए गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशालाओं की स्थापना में धन अन्तरण हेतु पुनर्विनियोग की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-गु०नि०/414/पुनर्विनियोग/2020-21, दिनांक 08.12.2020 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 105-खाद तथा उर्वरक, 03-उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं योजना के मानक मद 17- किराया उपशुल्क में रू० 2.75 लाख, 55-मकान किराया भत्ता में रू० 0.15 लाख, 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं के लिए भुगतान में रू० 20.00 लाख एवं लेखाशीर्षक 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 01-फसल कृषि कर्म, 004-अनुसंधान, 03-उर्वरक नियंत्रण आदेश बीज एवं कीटनाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लिए गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशालाओं की स्थापना योजना के मानक मद 55-मकान किराया भत्ता में रू० 0.77 लाख अर्थात् कुल रू० 23.67 लाख (रू० तेईस लाख सड़सठ हजार मात्र) की धनराशि विभागीय बचतों से संलग्न प्रपत्र बी०एम०-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त जारी स्वीकृति के सापेक्ष एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय बल्कि आवश्यकतानुसार धनराशि को कोषागार से आहरित की जाए।

3- पुनर्विनियोग की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

4- जिस मद में बचत बतायी गयी है चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में उस मानक मद में धनराशि की मांग नहीं की जायेगी तथा न ही देयता सृजित की जायेगी।

5- जिस मद में धनराशि का पुनर्विनियोग किया जा रहा है, धनराशि का व्यय उन्ही मदों में किया जायेगा। इससे इतर मद में धनराशि का व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

6- पुनर्विनियोग की जा रही धनराशि में आंकड़ों की शुद्धता का पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

7- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 105-खाद तथा उर्वरक, 03-उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं के मानक मद 01-वेतन, 03-मंहगाई भत्ता तथा 56-नगर प्रतिकर भत्ता एवं लेखाशीर्षक 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 01-फसल कृषि कर्म, 004-अनुसंधान, 03-उर्वरक नियंत्रण आदेश बीज एवं कीटनाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लिए गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशालाओं की स्थापना योजना के मानक मद 01-वेतन, 03-मंहगाई भत्ता तथा 56-नगर प्रतिकर भत्ता में होने वाली बचत को पुनर्विनियोग करते हुए लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म, 105-खाद तथा उर्वरक, 03-उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं योजना के मानक मद 17- किराया उपशुल्क, 55-मकान किराया भत्ता, 58-आउटसोर्सिंग सेवाओं के लिए भुगतान एवं लेखाशीर्षक 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 01-फसल कृषि कर्म, 004-अनुसंधान, 03-उर्वरक नियंत्रण आदेश बीज एवं कीटनाशक अधिनियमों के अन्तर्गत लिए गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशालाओं की स्थापना योजना के मानक मद 55-मकान किराया भत्ता के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में उल्लिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। यह आदेश उक्त शासनादेशों में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

विद्याशंकर सिंह
विशेष सचिव।

संख्या- 02/2021/1382(1)/12-5-2021, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्न की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित रू-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथमध्द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथमध्द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार (सिविलध्आडिट)-प्रथमध्द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
6. समस्त जनपदीय कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1ध्नियोजन अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

संलग्नक-यथोक्त।

आज्ञा से,

वीरेन्द्र कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रपत्र-बी(एम)-09 (भाग-1)
पुनर्विनियोग के लिए आवेदन/स्वीकृति
(संदर्भ : बजट मैनुअल का पैरा-158)
(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली-भाँति देख लिया जाय)

अनुदान संख्या व नाम -11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) वित्तीय वर्ष 2020-21
प्रपत्र बी(एम)-09

(धनराशि लाख रु0 में)

निम्नलिखित मदों से प्रस्तावित संकलन				वित्त विभाग द्वारा यथा आवंटन	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध व्यय	संकलित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संकलन हेतु अनुमोदित धनराशि	संकलन के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (3-5)
1	2	3	4	5	6
2401 00 105 03 00 2401-फसल कृषि कार्य, 105-खाद तथा उर्वरक, 03- उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं.					
01-वेतन	102.94	0.90	0.90	0.90	100.04
03-महंगाई भत्ता	25.24	8.43	8.43	8.43	16.81
56-नगर प्रतिकर भत्ता	1.30	1.20	1.20	1.20	0.10
2415 01 004 03 00 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 01-फसल कृषि कार्य, 004-अनुसंधान, 03-उर्वरक नियंत्रण आदेश बीज एवं कीटनाशक अधिनियमों के अन्तर्गत दिए गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशालाओं की स्थापना.					
01-वेतन	33.47	8.65	8.65	8.65	24.82
02-महंगाई भत्ता	8.37	4.17	4.17	4.17	4.20
56-नगर प्रतिकर भत्ता	0.35	0.32	0.32	0.32	0.03
योग	169.67	23.67	23.67	23.67	146.00

निम्नलिखित मदों में प्रस्तावित संकलन				वित्त विभाग द्वारा यथा आवंटन	
लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में)	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रस्तावित कुल व्यय	संकलन हेतु प्रस्तावित धनराशि (9-6)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संकलन की धनराशि	संकलन के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (7+11)
7	8	9	10	11	12
2401 00 105 03 00 2401-फसल कृषि कार्य, 105-खाद तथा उर्वरक, 03-उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशालाएं.					
17-विकास उपस्कर	6.00	8.75	2.75	2.75	8.75
55-मकान किराया भत्ता	6.90	7.05	0.15	0.15	7.05
58-आउटसोर्सिंग सेवाओं के लिए भुगतान	20.30	40.30	20.00	20.00	40.30
2415 01 004 03 00 2415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, 01-फसल कृषि कार्य, 004-अनुसंधान, 03-उर्वरक नियंत्रण आदेश बीज एवं कीटनाशक अधिनियमों के अन्तर्गत दिए गये नमूनों के विश्लेषण हेतु प्रयोगशालाओं की स्थापना.					
55-मकान किराया भत्ता	1.20	1.97	0.77	0.77	1.97
योग	34.40	58.07	23.67	23.67	58.07

(रु0 तेईस लाख सड़सठ हजार मात्र)

1-स्तम्भ-2 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-3 में अंकित बचत निम्नलिखित कारणों से है :-

01-वेतन, 03-महंगाई भत्ता, 56-नगर प्रतिकर भत्ता में बचत उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशालाओं लखनऊ (आलमबाग, रहमानखेड़ा), वाराणसी एवं मेरठ में कार्मिकों के पद रिक्त होने/महंगाई भत्ता स्थानान्तर/नगर प्रतिकर भत्ता के समायोजन के फलस्वरूप प्राविधान के सापेक्ष आवश्यकता कम होने के कारण।

Scanned with CamScanner

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2–स्तम्भ–6 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित व्यय निम्नलिखित कारणों से है :–

17–विलम्बित उपभुक्ता, 66–मकान किराया भत्ता, 69–आउटसोर्सिंग सेवाओं के लिए भुगतान मद में चालू वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्राक्कलन के सापेक्ष आवश्यकता अधिक होने के कारण।

3–प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर संख्या–150, 151, 154 व 155 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या: आएई0–256/ई–1–21–दस–2021, दिनांक: 11.01.2021

सेवा में,
महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(वीरेन्द्र कुमार)
अनु सचिव (कृषि)
उत्तर प्रदेश शासन।

हस्ताक्षर.....
नाम व पदनाम..... (पूर्णिमा बेदार श्रीवास्तव)
अनु सचिव,
वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या– /12–5–2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
2– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
3– महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, प्रयागराज।
4– वित्त नियंत्रक, कृषि निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
5– मुख्य कोषाधिकारी, जयाहर भवन, लखनऊ/समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
6– वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (बी0एम0–9 तीन प्रतियों में)।
7– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–1
8– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र कुमार)
अनु सचिव।

Scanned with CamScanner

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।